The Sameeksha Global: A Multidisciplinary Journal in Hindi
Vol. 5, Issue 1 – 2021
ISSN: 2581-401X

घुमक्कड़ जातियां: कौतूहल या वितृष्णा का नहीं संवेदना का विषय

प्रवीण गुगनानी

यह आश्चर्य का विषय है कि हमारा देश और हम सभी नागरिक 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुए किंतु देश की घुमंतू जातियों के चार करोड़ लोगों का दर्जा तब भी कानूनी रूप से गुलाम का ही बना रहा। घुमंतू जातियों के इन गुलामों हेतु भारत सरकार ने 31अगस्त 1952 को एक क़ानून बनाकर इन्हें स्वतंत्र घोषित किया फलस्वरूप इन जातियों के लोगों हेतु 31 अगस्त को विमुक्ति दिवस स्वतंत्रता दिवस (Hasan, 2020) कहा गया।

सृष्टि में मानव जन्म के साथ से ही अपने घर की कल्पना विकसित हो गई होगी। बाद में मनुष्य की चेतना में अपना घर, मोहल्ला, नगर और राज्य कहनें की प्रवृत्ति विकसित होनें लगी होगी। चौदहवीं शताब्दी में लिखे गए शूद्रक के प्रसिद्ध नाटक मृच्छ कटिकम में एक स्थान पर बिना घर वाले व्यक्ति को अत्यधिक विपन्न, निर्धन और व्याधिग्रस्त से भी अधिक दुर्भाग्यशाली बताते हुए कहा कि ऐसे व्यक्ति का कोई सहारा, संबल, अवलंबन नहीं होता। ऐसे बिना घर वाले व्यक्ति के सहयोग को कोई भी आगे नहीं आता। एक घर और एक ठिकाने की इस अटूट और स्वाभाविक मान्यता के विपरीत की व अपवाद की ही कथा है यह भटकी, विमुक्त और घुमक्कड़ जातियों की कथा। इस कथा के सूत्र 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम/क्रांति से जुड़ते हैं। इन 191 लड़ाका जातियों के लोगों ने 1857की क्रांति में बढ़-चढ़कर भाग लिया, और अंग्रेजों को भरपूर छकाया व परेशान किया फलस्वरूप ये अंग्रेजों की आँखों की किरिकिरी बन गए थे। इसमें कोई संदेह नहीं कि ये जातियां आधुनिक सभ्यता व विकास से कटी हुई अलग थलग रहती थी व आपराधिक गतिविधियों में भी संलग्न रहती थी किंतु 1857 की क्रांति में पुरे देश व समाज का इन्होने जिस प्रकार साथ दिया उसके बाद इन जातियों के प्रति देश के शेष हिंदू समाज में इन्होने तब अलग स्थान बना लिया था। अपनी युद्ध कला, बलिष्ठता, बुद्धि, लड़ाकेपन व आपराधिक बुद्धि का भरपूर उपयोग इस समाज ने अंग्रेजों के पैर उखाड़ने में किया था। 1857 के बाद से ही अंग्रेज इन जातियों पर तीक्ष्ण नजर रखने लगे व इनके लिए देश भर में 50 अलग बस्तियां बना दी गई थी, जिनसे बाहर निकलते समय व अन्दर आते समय इन्हें शासकीय तंत्र को विधिवत सुचना देनी होती थी। जहां 1857 की क्रांति के बाद शनैः शनैः इन जातियों को हिंदू समाज ने अपने में

© Eureka Journals 2021. All Rights Reserved.

समरस करना प्रारंभ किया वहीं अंग्रेजों ने इस समाज से अपने प्रतिशोध का क्रम प्रारंभ कर दिया, व इस समाज को शेष हिंदू समाज व देश से काटने का हर षड्यंत्र किया। इसी क्रम में 1871 में इन लड़ाकू 193जातियों को अंग्रेजों ने आपराधिक जातियां घोषित कर दिया। (Bhaskar, 2020)

यह दुखद आश्चर्य ही है कि जब 15 अगस्त, 1947 को संपूर्ण भारत स्वतंत्र हुआ व भारत का प्रत्येक नागरिक स्वतंत्र नागरिक कहलाया तब भारत का 193 जातियों का समूह ऐसा था जिसे गुलाम श्रेणी में रखा गया था। इन 193 ऐसी जातियां को अंग्रेजों नें Criminal Law Amendment Act 1871 (Mark, 2010) के अनुसार अपराधी घोषित कर दिया था। अपने मूंह मियां मिट्ठू जैसे आधुनिक और विकसित कहलानें वाले अंग्रेजों की मध्ययुगीन, बर्बर और पाषाण सोच का यह ज्वलंत उदाहरण है कि 193 जातियों को समूह रूप में पूरा का पूरा अपराधी वर्ग घोषित कर दिया गया था। स्थिति इतनी बर्बर थी कि इन जातियों में जन्म लेने वाला अबोध शिशु भी जीवन के प्रथम दिन से आजन्म अपराधी ही कहलाता था!! अंग्रेजों की मानसिकता का तनिक सा भी अध्ययन करनें वालों को पता है कि भारत में अंग्रेजों को अपराधियों से कभी घृणा नहीं रही वे अपनी कानूनी स्थिति का लाभ उठाकर अपराधियों को लालच दिखाते और उनका अंग्रेज शासन में अघोषित संविधानेतर उपयोग करनें लगते थे। अंग्रजों द्वारा इन भटकी विमुक्त जातियों को अपराधी घोषित करनें के पूर्व इन जातियों की क्षमता उपयोग भी निश्चित तौर पर इस राष्ट्र को लूटनें और यहाँ के नागरिकों पर आतंक स्थापित करनें वाली गतिविधियों हेतु करनें का प्रयास किया गया। हिंदुस्थानी समाज में आतंक और लूट का वातावरण बनानें के अंग्रेजी प्रयासों में अपनी सैन्य, छापामार, रात्रि दक्ष, निशानेबाज, कलाबाज क्षमता के उपयोग से इंकार करनें के परिणाम स्वरूप ही कदाचित ये जातियां अंग्रेजों द्वारा अपराधी घोषित कर दी गई। कथित तौर पर अपराधी घोषित इन जातियों में मल्लाह, केवट, निषाद, बिन्द, धीवर, डलेराकहार, रायसिख, महातम, बंजारा, बाजीगर, सिकलीगर, नालबंध, सांसी, भेदकूट, छड़ा, भांतु, भाट, नट, पाल, गडरिया, बघेल, लोहार, डोम, बावरिया, राबरी, गंडीला, गाडियालोहार, जंगमजोगी, नाथ, बंगाली, अहेरिया, बहेलिया नायक, सपेला, सपेरा, पारधी, लोध, गुजर, सिंघिकाट, कुचबन्ध, गिहार, कंजड आदि सम्मिलित थी। इन जातियों को अनेक प्रतिबंधों में रहना होता था। इन्हें किसी भी गाँव नगर में स्थायी बसनें की अनुमति नहीं होती थी, सामान्य नागरिक अधिकारों से वंचित इन

© Eureka Journals 2021. All Rights Reserved.

जातियों के बंधू न्याय व्यवस्था में अधिकार विहीन थे और कहीं भी अपनी शिकायत दर्ज नहीं का सकते थे। स्वतंत्रता के समय देश भर की इन जातियों के लगभग चार करोड़ बंधू स्वतंत्र नहीं हुए और इनकी यथास्थिति परतंत्र की बनी रही। स्थतियों को ध्यान में रखते हुए 1952 अर्थात स्वतंत्रता के पांच वर्षों पश्चात एक बिल के माध्यम से इन जातियों को स्वतंत्र घोषित किया गया था।

आज भारत में इन भटकी, विमुक्त, घूमंतू जातियों की संख्या 15 करोड़ है। इनमें से कई जातियां विलुप्त प्राय हैं और समाप्त होनें के कगार पर है। 15 करोड़ के इस बड़े जनसमूह का शासन व्यवस्था के तीनों अंगों में अल्पतम प्रतिनिधित्व है। लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ प्रेस जगत में तो इन जातियों का जैसे प्रतिनिधित्व है ही नहीं!! आज भी इस देश में इन जातियों के लोग बेघर, बेठिकाना, अशिक्षित, विपन्न, निर्धन होकर शासन के आंकड़ों में दर्ज नहीं हैं और अनजान होकर अभिशप्त जीवन जी रहें हैं। अपनी कई क्षमताओं, जीवटता, छापामारी, कलाबाजियों और सिद्धहस्त होनें के गुणों को अपना पेट पालनें के लिए प्रयोग करनें वाली यह जातियां अंग्रेजों के इस देश को लूटनें के काम में सहयोग करनें के आदेश को माननें से इंकार कर बैठी और अपराधी घोषित हो गई। यदि इन जातियों ने उस समय अंग्रेजी शासन से सहयोग किया होता तो संभवतः इन जातियों के प्रमुख भी कही साहब, रायसाहब, सर, मनसबदार, जागीरदार आदि नामों से पुकारे जा रहे होते।

केंद्र सरकार द्वारा इन जातियों के विकास के लिए 2006 में बालकृष्ण रेणके की अध्यक्षता में एक आयोग की स्थापना की गई थी। इस आयोग ने 2008 में अपनी सिफारिशें केंद्र सरकार को सौंप दी थी। सम्पूर्ण देश की स्थिति में देखें तो महाराष्ट्र व उत्तरप्रदेश के पश्चात मध्यप्रदेश में ही भटकी एवं विमुक्त जातियों की सर्वाधिक संख्या निवासरत है। मध्यप्रदेश के लगभग सभी जिलों में इन जातियों के बंधुओं का प्रवास निरंतर बना रहता है। रोजगार की दृष्टि से वे म.प्र. के जिलों में अपनें ठिकानों को बनातें रहते हैं। इनकी संख्या के कारण ही 1995 में म.प्र. विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जाति विकास अभिकरण का गठन किया गया था एवं 2011 में विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग की स्थापना भी की गई। इनके स्वभाव के विषय में कहा जा सकता है कि इन जातियों के बंधू चाहें तो एक स्थान पर रहकर भी आजीविका कमा सकतें हैं किंतु घुमक्कड़ पन इनके स्वाभाव का स्थायी भाव है और ये एक स्थान से दुसरे स्थान पर चलते रहते हैं।

© Eureka Journals 2021. All Rights Reserved.

मध्यप्रदेश में 51 जनजातियां विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जातियों के रूप में चिन्हित कर मान्य की गई हैं। इन 51 जातियों में से 21 जातियों को विमुक्त जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है, ये जातियां हैं-कंजर, सांसी, बंजारा, बनछड़ा, मोघिया, कालबेलिया, भानमत, बगरी, नट, पारधी, बेदिया, हाबुड़ा, भाटु, कुचबंदिया, बिजोरिया, कबूतरी, सन्धिया, पासी, चंद्रवेदिया, बैरागी, सनोरिया। बची हुई 30 जातियों को घुमक्कड़ घोषित किया गया है, ये हैं - बलदिया, बाछोवालिया, भाट, भंतु, देसर, दुर्गी मुरागी, घिसाड़ी, गोंधली, ईरानी, जोगी या जोगी कनफटा, काशीकापड़ी, कलंदर नागफड़ा, कामद, करोला, कसाई गडरिये, लोहार पिटटा, नायकढ़ा, शिकलिगर, सिरंगिवाला, सद्गुदु सिद्धन, राजगोंड, गद्दीज, रेभारी, गोलर, गोसाईं, भराड़ी हरदास, भराड़ी हरबोला, हेजरा धनगर। शेष घुमक्कड़ जाति जैसे जोशी बालसंतोशी (जोशी बहुलीकर, जोशी बजरिया, जोशी बुदुबुद्की, जोशी चित्राबठी, जोशी हरदा, जोशी नदिया, जोशी हरबोला, जोशी नामदीवाला, जोशी पिंगला) को अर्द्ध घुमक्कड़ जनजाति के रूप में मान्य किया गया है।

मध्यप्रदेश मे दिसंबर 2016 मे विमुक्त, घुमक्कड़, अर्धघुमक्कड़ जनजातियों को अनुसूचित जाति एवं जनजाति की सूची में शामिल किया गया।(Govt, 2017) इन जनजातियों के लोगों के परिचय पत्र बनाये गए व उन्हें वे सारी सुविधाएं मिलने लगी जो जनजातीय या अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को मिलती है। मप्र शासन ने आग्रह किया कि भटकी, घुमक्कड़ जातियां जो कि सदियों से भटक रही हैं, अब भटकना बंद करें। एक स्थान पर निवास करें, सम्मानजनक रोजगार करें, बच्चों को पढ़ाएँ तथा अपने हाथों को निर्माण एवं सृजन में लगाएं। सरकार इनके रहने के लिए प्लॉट, मकान बनाने के लिए सहायता, रोजगार के लिए ऋण, बच्चों की पढ़ाई के लिए सारी सुविधाएं देने लगी। आकस्मिक मृत्यु पर 2 लाख रूपये, प्राकृतिक आपदा से मृत्यु पर 4 लाख तथा सामान्य मृत्यु पर 25 हजार रूपये की सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्धघुमक्कड़ जातियों का एक अभिकरण बनाया गया व उसके अध्यक्ष को मंत्री का दर्जा दिया गया। इन जातियों के लोगों के व्यवसाय, लघु उद्धयोग, पशुपालन, कृषि आदि भी स्थापित कराने के प्रयास किए जा रहे हैं।

मध्यप्रदेश मे लगभग एक करोड़ से अधिक भटकी, विमुक्त व घुमक्कड़ जातियों के लोग निवास करते हैं। (Govt, 2017) इनमें से अधिकांश लोग सिवनी, बालाघाट, देवास, मंडला, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, बैतूल नीमच, मंदसौर, बड़वानी, खंडवा, दमोह, रायसेन, विदिशा,

© Eureka Journals 2021. All Rights Reserved.

ग्वालियर आदि जिलों मे निवासरत हैं। बैरसिया मे इन बंधुओं के बच्चों हेतु एक छात्रावास भी है। इसमें कोई दो मत नहीं कि मप्र शासन ने इन जातियों हेतु व्यवस्थाएं की हैं किंतु समेकित योजना नही होने के कारण यह समाज इन व्यवस्थाओं का लाभ समुचित रूप से नहीं उठा पा रहा है। व्यवस्थाओं मे गड़बड़ी का एक कारण यह भी है कि इन जातियों को लेकर राष्ट्रीय व प्रादेशिक नीतियों मे व्यापक भिन्नता है, फलस्वरूप एक जाति केंद्र की दृष्टि मे किसी वर्ग मे होती है तो किसी प्रदेश मे किसी अन्य संवर्ग मे। इस प्रकार की असामनता से ये घुमंतू लोग कुछ अधिक ही प्रभावित होते हैं। मध्यप्रदेश मे इन जतियों के बंधुओं हेतु योजनाएँ तो तमाम बनी हैं किंतु इनका व्यवस्थित क्रियान्वयन न होने से घुमक्कड़ बंधु अब भी बेहद दयनीय स्थिति मे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इन जातियों का सर्वे 1931 मे किया गया था। उसके बाद इन जातियों पर कोई व्यवस्थित सर्वे कार्य न होना भी इनके पिछड़े रहने का एक बड़ा कारण है। आज बड़ी महती आवश्यकता इस बात की है कि मप्र मे इन जातियों का एक व्यापक व गहरा सर्वे हो और फिर नवीन तथ्यों के आधार पर इनके संदर्भ मे नीतियों को पुनर्निर्धारण हो। सर्वे मे न केवल इनकी आर्थिक स्थिति, रोजगार, शिक्षा का आकलन हो बल्कि इनके देवी-देवता, तीज-त्यौहार, उत्सव-परम्पराएं आदि आदि का भी व्यापक अध्ययन होना चाहिए। मप्र मे तो ऐसा भी देखा जा रहा कि एक ही जाति के लोगो की दो अलग अलग जिलों मे भिन्न प्रकार की स्थितियां, रोजगार, स्तर व प्रवृत्तियां हैं। इस भौगोलिक भिन्नता को भी नवीन सर्वे मे ध्यान मे रखा जाना चाहिए अन्यथा ये नीतियां परिणाममूलक न होकर हवा हवाई बनकर रह जाएंगी। जैसे पारधी जाति कुछ स्थानों पर पक्षियों का शिकार करके जीवनयापन करती है तो कई कुछ स्थानों पर यह गायन करके भिक्षा मांगती है तो कुछ जिलों मे यह गंभीर रूप से आपराधिक स्वभाव की बन चुकी है।

मध्यप्रदेश मे इन जातियों का सोशल पोलिसिंग की दृष्टि से भी अध्ययन किए जाने की व्यापक आवश्यकता है। अधिकांश घुमंतू जातियों को अपराधों से अलग विलग करना एक बड़ी आवश्यकता है। इनकी कलाओं का जो उपयोग अपराध हेतु हो रहा है उसके संदर्भ मे अतिसंवेदनशील सामाजिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इनकी कलाओं को सामाजिक मान्यता, स्वीकार्यता, सम्मान मिलना समय की प्रमुख मांग है। ये जातियां मध्यप्रदेश मे कई स्थानों पर अपनी गायन, वादन कलाओं के साथ भिक्षाटन करते दिखाई पड़ती है। भिक्षाटनही इनका प्रमुख व्यवसाय हो गया लगता है किंतु आज के समय मे जबकि भीख मांगना व देना

© Eureka Journals 2021. All Rights Reserved.

दोनों को एक विचित्र दृष्टि से देखा जाता है तब स्वाभाविक ही है कि ये लोग अपने जीवनयापन हेतु विभिन्न प्रकार के नैतिक अनैतिक अवसर चुनते चले जाते हैं।

References

1. Bhaskar. (2020, 15 07). *स्वतंत्रता के 5 साल 16 दिन बाद आजाद हुई थीं विमुक्त जातियां*. Retrieved from www.bhaskar.com: https://bit.ly/3eS7RNB.
2. Govt, M. (2017, 06 30). *Madhya Pradesh RajPatr.* Retrieved from govt pressmp.nic.in: http://govtpressmp.nic.in/pdf/part-1/2017-06-30-26.pdf.
3. Hasan, I. u. (2020, 07 31). *Denotified 68 Years Ago, 'Criminal' Tribes Still Fight Stigma, Poverty*. Retrieved from outlookindia.com: https://bit.ly/3hQFbpU.
4. Mark, C. (2010, 01). *The Criminal Law Amendment Act, 1871*. doi: 10.1093/acprof:oso/9780199268894.003.0007.

© Eureka Journals 2021. All Rights Reserved.